रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 167] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 9, 1973/आषाढ़ 18, 1895

No. 167] NEW DELHI, MONDAY, JULY 9, 1973/ASADHA 18, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

**MINISTRY OF STEEL AND MINES**

**(Department of Mines)**

ORDER

*New Delhi, the 9th July,* 1973

**G.S.R. 345(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Coal Mines (Notification) Act, 1973 (26 of 1973), the Central Government hereby directs that the right, title and interest of the owners in relation to all the coal mines referred to in section 3 of the said Act, except the coal mines specified against serial numbers 45 to 219 (both inclusive), 227, 235, 237, 260, 265, 275, 441, 483 and 583 of the Schedule to the said Act, shall, with effect from the 9th July, 1973, vest in the Coal Mines Authority Limited, Calcutta, a Government company incorporated under the Companies Act, 1956 (1 of 1956), and having its registered office at Calcutta, in the State of West Bengal.

[No. 101(18)/73-CII.]

S. B. LAL, Jt. Secy

**इस्पात और खान मंत्रालय**

(खान विभाग)

**आदेश**

नई दिल्ली, जुलाई 9, 1973

**सा० का० नि० 345 (अ)**.—कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 (1973 की 26) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 में निर्दिष्ट सभी कोयला खानों से संबंधित स्वामियों के अधिकार, हक और हित, उक्त अधिनियम की अनुसूची की क्रम सं० 45 से 219 (दोनों को सम्मिलित करके), 227, 235, 237, 260, 265, 275, 441, 483 और 583 के सामने विनिर्दिष्ट कोयला खानों के सिवाय, 9 जुलाई, 1973 से कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड, कलकत्ता में, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन निगमित सरकारी कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पश्चिमी बंगाल राज्य में कलकत्ता में स्थित है, निहित हो जाएंगे।

[सं० 101(18)/73-सी 2]

एम० बी० लाल, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973